हमारी थाती, हमारे बारानाजा, हमारी जैवविविधता

जीवो जीवस्य जीवनम्

MADHYA PRADESH STATE BIODIVERSITY BOARD

जैवविविधता संरक्षण और आजीविका की मजबूती के लिए जैवविविधता पुस्तिका

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

भारत सरकार के जैवविविधता अधिनियम 2003 के तहत मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गइन निगमित निकाय के रूप में किया गया है। बोर्ड का सरोकार प्रदेश की प्रचुर जैवविविधता के संरक्षण उसके संवहनीय उपयोग और उससे होने वाले लाभों के समुचित बटवारे से हैं। संक्षेप में बोर्ड के प्रमुख कार्य इस प्रकार है:-

- जैवविविधता के संरक्षण एवं उसके संवहनीय उपयोग से प्राप्त लाभों का स्थानीय समुदाय के बीच समुचित वितरण।
- भारतीय नागरिकों को जैविक सम्पदा के सर्वेक्षण, उसके वाणिज्यिक उपयोग के लिए आए अनुरोध को मंजूरी देना या उन्हें नियंत्रित करना।
- जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन और शोध करना।
- शासकीय निकायों, स्वैच्छिक संस्थाओं, छात्रों, युवाओं तथा स्थानीय निकायों सहित सभी संबंधित पक्षों जैव विविधता संरक्षण हेतू तालमेल रखना।
- जैवविविधता की जानकारी को संकलित करने के लिए लोक जैवविविधता पंजी तैयार करवाना, जिससे सम्पदा का उचित प्रबंध किया जा सके तथा गॉव के विकास की योजना बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिल सके।
- स्थानीय निकाय के सदस्यों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के सदस्यों का प्रशिक्षण करना जिससे वे जैवविविधता संरक्षण तथा बोर्ड के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सार्थक भूमिका निभा सकें।
- जैवविविधता संरक्षण से जुड़े मसलों पर राज्य शासन को सलाह देना।
- जैवविविधता संरक्षण और उससे जुडे मुद्दों पर चेतना जागृत करना और संबंधित जानकारियों का प्रचार-प्रसार करना।

हमारी थाती, हमारे बारानाजा, हमारी जैवविविधता

जैवविविधता संरक्षण और आजीविका की
मजबूती के लिए
जैवविविधता पुस्तिका

म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड

प्रकाशक : मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
26 प्रथम तल, किसान भवन,
अरेरा हिल्स, भोपल–462011

इस पुस्तक की सामग्री का उपयोग करने के लिए किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं हैं। यदि स्त्रोत का उल्लेख करेंगे तो प्रसन्नता होगी।

अपनी बात...

राज्य के सात अंचलों में शासकीय निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, शिक्षा एवं शोध संस्थानों, किसानों एवं समुदायों के लोगों के साथ की गई आंचलिक बैठकों में कई सवाल उठे, जिन्हें इस पुस्तिका में शामिल किया गया है। जैवविविधता संरक्षण से अजीविका की मजबूती बने, यह सवाल सभी बैठकों में छाया रहा। भारत सरकार द्वारा पारित जैवविविधता अधिनियम 2002 एवं राज्य शासन द्वारा बनाए गए जैवविविधता नियम 2004 से जुड़े कई सवाल भी इन बैठकों में आए। इन प्रश्नों को भी इस पुस्तिका में शामिल किया गया है। हमारी कोशिश रही है कि पुस्तिका की भाषा को आम बोलचाल की भाषा के करीब रखा जाए। पर शायद कई जगह तकनीकी शब्दों के कारण पूरा न्याय नहीं हो पाया है। यह पुस्तिका वास्तव में उन मैदानी साथियों के लिए है, जो ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए जैवविविधता संरक्षण के रास्ते पर चलना चाहते हैं। उनकी इस यात्रा में यदि यह पुस्तिका मददगार साबित हुई, तो हमें बेहद खुशी होगी।

बोर्ड परिवार

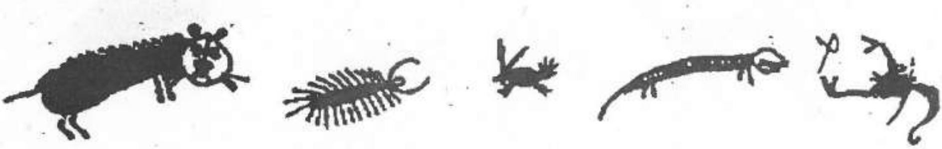

कहां क्या है ?

1. समझें जैवविविधता के मायने — 01

2. जैवविविधता के संरक्षण और अजीविका की मजबूती के लिए चुनौतियां — 07

3. चुनौतियों के बीच नये रास्ते — 11

4. जैवविविधता अधिनियम एवं नियम तथा सहयोगी संस्थाओं की भूमिकायें — 16

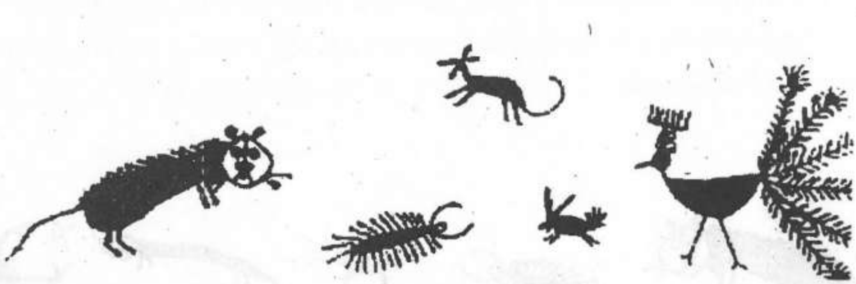

अध्याय एक

समझें जैवविविधता के मायने

जल, जंगल, जमीन और वायु से हमारे जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं। इनके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जैविक सम्पदा की सम्पन्नता उसकी विविधता में है, अर्थात जितने अधिक किस्म की वनस्पतियां पेड़–पौधे, अनाज, जीव–जन्तु, विविधता में है, अर्थात जितने अधिक किस्म की वनस्पतियां पेड–पौधे, अनाज, जीव–जन्तु, जल स्त्रोत आदि हमारी प्रकृति के खाजाने में होगें उतनी ही स्वस्थ होगी हमारी धरती और उस पर बसने वाले। हम यह भी कह सकते हैं कि जितनी सम्पन्न या बर्बाद हमारी जैवविविधता होगी उतना ही सम्पन्ना या बर्बाद पृथ्वी पर जीवन होगा। जैवविविधता की सुरक्षा और बढ़ोत्तरी से ही सुखी जीवन संभव है।

जैवविविधता को कैसे समझा जाये ?

'जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी'। यह बात जैवविविधता को समझने के लिए भी कही जा सकती है। अलग–अलग लोगों ने अपने अपने नज़रिये से इसे समझा है। जैसे जंगल में और उसके करीब रहने वाले दद्दू गोंड के लिए उसका घर, खेत तरह–तरह के अनाज और रोजी रोटी, दवा–दारू की जुगाड़, उसके तीज त्यौहार, सभी कुछ हैं। इमरती बाई के लिए मुसीबत के दिनों में (अनाज की कमी होने पर) बैचांदी और जंगल में मिलने वाले वे कंद हैं जिन्हें रांधकर (पकाकर) वह अपने परिवार का पेट भरती है। उनके लिए यह जीवन की थाती है। कहीं लोग इसे बारा मिजरा, तो कहीं बारानाजा, तो कहीं सटर–पटर, के रूप में जैवविविधता को देखते हैं।

वैज्ञानिकों और शिक्षित वर्ग के लिए जैवविविधता का महत्व प्रकृति या पारिस्थितिकीय तंत्र से जुड़ी सेवाओं में देखने को मिलता है। पानी का चक्र, पोशक तत्वों का चक्र, कार्बन डाईऑक्साइड जैसी गैस को सोखने और ऑक्सीजन देने की अमूल्य सेवाओं से जैवविविधता का महत्व समझा जा सकता है। अनेकानेक प्रजातियां और उनकी किस्मों में बसता है, आपार जीन पूल। उदाहरण के लिए गेहूं की बौनी किस्म बनाने के लिये भी जरूरत पड़ी थी, ऐसे ही जीन या आनुवांशिक इकाई की। भविश्य में चिकित्सा के क्षेत्र

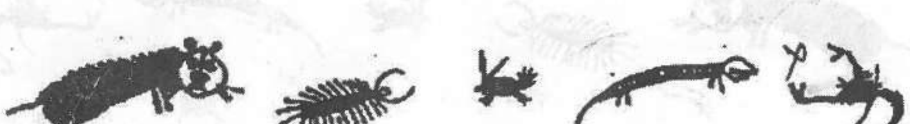

में और खाद्यात्र के उत्पादन को बढ़ाने में इसी जीन मूल की जरूरत होगी।

वनों के प्रबंधको के लिए जैवविविधता इमारती लकड़ी और दूसरे वन उत्पाद का साधन है जो राज्य की एवं स्थानीय लोगों की आमदनी का भी बड़ा ज़रिया है। सैकड़ो तरह की लघु वनोपज (जैसे आचार, महुआ, तेंदूपत्ता, लाख आदि) एवं औषधीय पौधे इसी विविधता का अंग है। कृषि विशेषज्ञों ने अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों/किस्मों आदि को महत्व दिया है।

फिर एक ओर व्यापारी वर्ग एवं दवाई उद्योग है, जिसे हर्बल सौंदर्य प्रसाधनों, दवाइयों एवं जीवन उपयोगी हर्बल सामग्री के लिए जैवविविधता महत्वपूर्ण है।

प्रकृति प्रमी, प्रकृति की गोद में आनन्द, साहसिक यात्राओं, वन्य जीवन से साक्षात्कार, ज्ञान, पर्यटन के लिए इसे चाहते है। जैविक सम्पदा से व्यापार की संभावनायें देखते हुए "आम के आम गुठिलियों के दाम" की कहावत को साकार करने के लिए जैवविविधता महत्व रखती है। तो समाज के एक तबके के लिए नदियों के तट पर और पर्वतों पर स्थित देव शनि तीर्थ सीान के रूप में महत्वपूर्ण है।

इस तरह हम देखते है कि जैवविविधता को अलग–अलग तबके के लोग अपने अपने नजरिये से देखते व समझते हैं। इन सबके शब्द या कहने के तरीके अलग–अलग हो सकते है, परन्तु सबके सरोकार स्वस्थ और मजबूत जैवविविधता के लिए ही है। जरूरत है वनवासियों, ग्रामीणों, किसानों, मज़दूरों, वैज्ञानिकों, विभिन्न व्यापारियों, वन प्रबन्धकों, भाासकीय निकायों, स्वैच्छिक संस्थाओं, प्रकृति प्रेमियों और समाज के सभी तबके के साझा नजरिये को और उनके हितों को ध्यान में रखकर संरक्षण की प्रभावी रणनीति बनाने की।

यह तो हुई अलग–अलग लोगों की बात, फिर भी थोड़े (संक्षेप) में तो बताओ की जैवविविधता है क्या?

हम कह सकते हैं कि जैवविविधता कुदरत की जैविक सम्पदा और समृद्धि का सम्पूर्ण स्वरूप है जिसमें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे यहां तक कि आंखो से न दिखने वाले जीवाणु तथा बैक्टीरिया तक सभी तरह के जीव पेड़–पौधे, लताऐं, घास–पात और वनस्पति जगत का सभी कुछ। जीव जगत के इन अलग–अलग तरह की वनस्पतियों,

प्राणियों एवं सुक्ष्य जीवाणुओं तथा कई तरह के इनके रहवासों और फिर एक दूसरे से उनके संबंध से ही जैवविविधता को समझा जा सकता है। और हां इन लाखों तहर के जीवों में प्रत्येक जीव प्रजाति के भीतर व्याप्त विविधता (अनुवांशिक विविधता जैसे धान की सैकड़ो किस्में) जीवन की निरंतरता के लिए आधार बनाती है।

कुदरत में इतनी ज्यादा विविधता क्यों ?

इस बात को दो तरह से समझ सकते है एक तो मामूली तौर पर यह कि मान लो आपके पास गेंहू का अकूत भण्डार हो, दुनिया भर की जरूरत से भी कई गुना ज्यादा और कोई खाने की वस्तुएं नहीं हो तो क्या केवल गेंहू खाकर रहा जा सकता है ? उत्तर साफ है, नहीं। एक तो केवल गेहूँ खाते–खाते बहुत जल्दी ऊब जायेंगें। दूसरे शरीर को संतुलित बनाये रखने के लिए प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, वसा, शक्कर आदि अनेकों तत्वों की जरूरत होती है। इसलिए हमारे भोजन में गेहूँ, चावल, दाल, तरह–तरह की सब्जियां, भाजी, कंद–मूल (आलू, प्याज, गाजर, मूली, शलजम, चुकन्दर आदि) फल–फूल, तेल, घी, मिर्च–मसाले, अंडा, मछली, मांस, दूध–दही, मट्ठा, पनीर तरह–तरह की अनेकों वस्तुऐं शामिल करते हैं। जिस तरह से भोजन की यह विविधता मनुष्य के स्वास्थ्य और शरीर को संतुलित रखने के लिये जरूरी है कि उसी तरह प्रकृति को और उसमें पाये जाने वाले सभी जीव जन्तुओं और पेड़ पौधों सहित सभी वनस्पतियों के जीवन को स्वस्थ बनाये रखने के लिए जीव जगत में पाई जाने वाली अधिक से अधिक किस्मों की जरूरत है।

दूसरी बात जो ज्यादा बुनियादी है वह यह कि जीव जगत में सभी का जीवन एक दूसरे पर टिका है। कहते है कि 'जीवः जीवस्य भोजनम्' अर्थात एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। हम जो अनाज, सब्जी–भाजी, कंद–मूल, फल–फूल आदि खाते हैं, वह भी तो वनस्पति जगत की जीवित वस्तुएँ है। इसे एक और उदाहरण से विस्तार में समझने की कोशिश करें। जैसे चीतल घास खाता है और बाघ चीतल को खाता है। इसी तरह की अलग–अलग बहुत–सी कड़ियॉ मिलकर भोजन श्रृंखला (फूड चेन) बनाती है और बहुत–सी भोजन श्रृंखलाऐं मिलकर बुनती है जीवन का जाल। भोजन् श्रृंखलाओं से मिलकर बने जीवन के इस जाल में जितनी अधिक कड़ियां और श्रंखलाओं के ताने बाने होंगें उतना ही मजबूत और स्वस्थ होगा हमारा जीवन।

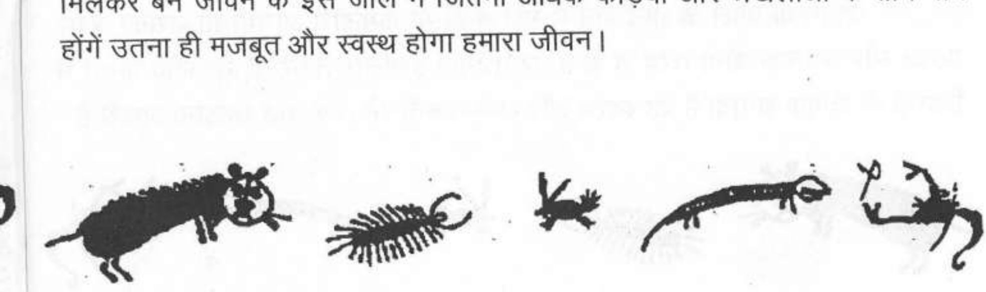

कहां गये गिद्ध ?

हम भले ही गिद्ध दृश्टि या गिद्ध की तरह झपटने आदि मुहावरों से गिद्ध को गलत प्राणी समझते हों परंतु हकीकत कुछ और ही है। वह यह कि गिद्ध हमारे वातावरण के एक अहम सफाई करने वाले हैं। यदि मरे हुए जानवरों को गिद्ध न खायें तो सोचिए भला क्या होगा ?

यदि जानवरों के शरीर में ही विशैले रसायन हो तो धीरे–धीरे इन विषैले रसायनों की मात्रा गिद्धो में भी बढ़ती रहती है। रक्त में जब यह मात्रा घातक अनुपात में पहुंचती है तो गिद्धों की मृत्यु हो जाती है। ऐसा ही किया 'डायक्लोफैनिक' नाम की दवा ने जो मवेशियों की चिकित्सा में उपयोग की जाती है। इस विषैली दवा के अवशेष गिद्धों के शारीर में पहुचें और धीरे–धीरे 'डायक्लोफैनिक' की मात्रा बढ़ती गई। अतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित देश एवं राज्य के कई क्षेत्र गिद्ध विहीन हो चुके है।

तो इसका मतलब क्या यह है कि जीव जगत में जो भी है सब एक दूसरे से जुड़े हैं ?

हां सभी एक दूसरे से जुड़े है और एक दूसरे पर आश्रित भी है। वे एक दूसरे को पालते पोसते भी हैं, समृद्ध करते हैं। जीव जगत में सब एक दूसरे के साथ और एक दूजे के लिए जीते हुए सहजीवन का अच्छा उदाहरण पेश करते हैं। जैसे मधुमक्खी पौधों का परागण कर फसलों की पैदावार बढ़ाती है तो उन्हीं पौधों का मकरन्द मधुमक्खी को भोजन देता है। पीपल, बरगद आदि वृक्ष अनेक पक्षियों को भोजन और आसरा देते हैं तो पक्षी उनके बीजों का प्रसारण करके उनकी प्रजातियों को फैलाते हैं या पक्षी फसलों के दाने खाते हैं तो उनमें लगने वाले कीड़े खाकर उनकी रक्षा भी करते हैं। जीव जगत सहजीवन के अनेकों उदाहरण से भरा पड़ा है।

जीवन के जाल के ताने बाने में यदि कहीं भी कमजोरी आयेगी तो उसका असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से सभी पर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि जीव जगत में जितनी भी जैविक सम्पदा है वह स्वस्थ और सम्पन्न बनी रहे। यह बात समझना जरूरी है

कि जैवविधिता की सुरक्षा, संवर्धन और इसकी मज़बूती से ही सभी का जीवन स्वस्थ, समृद्ध और सुखी होगा।

जैवविविधता के मायने में मध्यप्रदेश ?

हालांकि जैवविविधता का समूचा वर्णन करना तो बाहों में आकाश को समेटने जैसा है।

भारत विश्व के 16 सबसे सम्पन्न जैवविविधता वाले राष्ट्रों में एक:

विश्व में सबसे सम्पन्न जैवविविधता वाले 16 देश हैं। इन में भारत 11 वें स्थान पर है। भारत में जैवविविधता की सम्पन्नता का मुख्य कारण देश में इलाकों या इको सिस्टम की विविधता है। एक ओर हिमालय पर्वत में बर्फ से ढ़ंके क्षेत्र (एल्पाइन क्षेत्र) हैं तो दूसरी ओर थार का रेगिस्तान और पूर्वोत्तर भारत के सदा हरित वन या फिर मध्य भरत के पठार जैसे इलाके, उसी के अनुरूप वहां पाये जाने वाले जीव।

फिर भी प्रदेश की जैवविविधता की महत्वपूर्ण जानकारी यहां देने की कोशिश की जा रही है:–

- मध्यप्रदेश राज्य में कई तरह के इलाके (इको सिस्टम) है, जैसे नदियाँ, घाटियाँ, पठार, बीहड, मैदानी इलाके। जितने तरह के इलाके या इको सिस्टम, उतनी तरह की प्रजातियां और किस्में मिलने की सम्भावना रहती है।
- इलाकों में विविधता के कारण ही राज्य में 4 तरह के प्रमुख जंगल, 9 राष्ट्रीय उद्यान, 25 अभ्यारणों से ही इसे बाघ प्रदेश (टाईगर स्टेट) कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। आज भी मध्यप्रदेश सबसे अधिक वनक्षेत्र वाला राज्य हैं।
- राज्य में लगभग पांच हजार तरह के पौधे हैं जिनमें सैकड़ो औषधीय पौधे हैं।
- राष्ट्रीय पक्षी मोर सहित 500 पक्षियों की प्रजातियां। 165 से अधिक मछलियों की प्रजातियां। कुछ विषेश स्तनधारी जैसे चंबल नदी में पाई जानी सौंस (गैंजेटिक डाल्फिन)

राज्य में पाई जाती है।

- कड़कनाथ मुर्गे, मालवी, निमाड़ी और ग्वालो जैसी गौ वंश की नस्लें विविधता का ही परिचायक है।
- धान की हजारों किस्में (पुराने मध्यप्रदेश में कृषि वैज्ञानिक डॉ. रिछारिया ने 23,500 धान की किस्मों की पहचान की थी।)
- कोदों, कुटकी, समा, ज्वार, बाजरा, मक्का सहित मोटे अनाजों की कई किस्में।
- केवल लघु वन उपज ही लगभग एक हजार करोड़ से अधिक की अर्थव्यवस्था का आधार है।
- इसी जैवविविधता से जुड़े हुए जनजातीय एवं ग्रामीण समुदाय के अनेक रीति–रिवाज और मान्यताऐं। साजा के वृक्ष में जहां आदिवासियों के बड़े देव बसते है, वहीं पीपल में भगवान विष्णु।

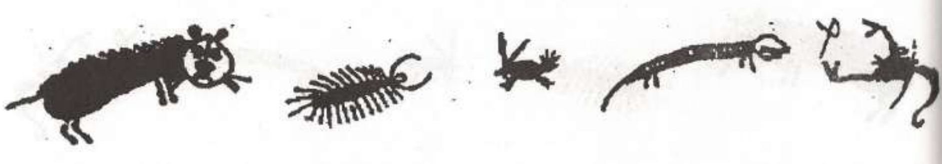

अध्याय – दो
जैवविविधता के संरक्षण और अजीविका की मज़बूती के लिए चुनौतियां

इस सम्पन्न जैवविविधता का प्रदेश के लिए क्या महत्व है ?

जैवविविधता की जिस बानगी का ऊपर ज़िक्र किया है वह विकास की निरन्तर (टिकाऊ) धारा को बनाये रखते हुए प्रदेश के लाखों जनों की रोजी रोटी को मज़बूती प्रदान करते हुए कुदरत के संतुलन को बनाये रखने में सहायक है। राज्य की इस जैवविविधता में भविष्य की न जाने कितनी संभावनाऐं छिपी हुई है चाहे वह बढ़ती आबादी के लिए खाद्यात्र को लेकर हो या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, गंभीर बीमारियों से लड़ाई की बात हो।

क्या यह विडम्बना नहीं कि राज्य के सबसे अधिक जैवविविधता सम्पन्न क्षेत्र विकास की धारा में अभी भी काफी पीछें हैं ?

यह सही है कि राज्य के वे क्षेत्र जो अभी भी काफी हद तक जैवविविधता सम्पन्न हैं, वहीं गरीबी और अभाव की जिन्दगी भी है। कुछ क्षेत्रों में मौसमी पलायन की स्थिति भी बनती है। यही तो सबसे बड़ी विडम्बना और विरोधाभास है। इन सबके चलते, तथा कई अन्य कारणों के मिलेजुले प्रभाव से धीरे–धीरे कई पौधे और फसलों की किस्में कम होती जा रही है। कई प्रजातियां तो अब बिल्कुल विलुप्त प्रायः ही हो गई हैं। कई वन्य प्राणी दुलर्भ और संकटापन्न स्थिति में पहुंच गये हैं।

यह हालत बनी क्यों ?

जनसंख्या एवं पशु संख्या में लगातार वृद्धि के कारण वनोपज (विशेषकर जलाऊ लकड़ी, चारा, बांस, एवं बल्ली तथा लघु वनोपज आदि) की लगातार बढ़ती मांग से जैवविविधता से संपन्न क्षेत्रों का कम होते जाना और गुणवत्ता में कमी आना ।

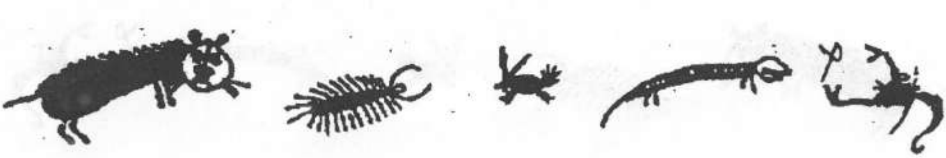

खत्म होंतीं धान की किस्में।

अनाज की एक ही प्रजाति की अलग–अलग बहुत–सी किस्में पाई जाती है। इन किसमों की अलग–अलग विशेषताऐं होती है, जैसे कुछ कम समय में पकने वाली, तो कुछ कम पानी में होने वाली या बीमारियों से लड़ने की क्षमता वाली किस्में तो कुछ विपरीत परिस्थितियों में कुछ न कुछ देने वाली किस्में मौजूद रही हैं।

प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ. रिछारिया ने अविभाजित मध्यप्रदेश में धान की 23,500 किस्में पता की थीं। 1980 में उनके द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार सिवनी जिलें में धान की 570 किस्में थी। 2003 में वन विभाग एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा आयोजित जल, जंगल, जमीन, यात्रा के दौरान धान की जीराशंकर, जलकेशर, जलपोंगा, रामकेसर, जीराफुल, कालीमूंछ साठिया सहित 110 किस्मों का पता लगाया गया। मात्र 23 वर्षों में धान की 460 किस्मों का गायब हो जाना आखिर किस बात का संकेत है? यदि इसी रफ्तार से हम जैविक सम्पदा की किस्में खाते गये तो हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा? क्यों खत्म हो रही है ये किस्में?

- पहले के दशकों में वन क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एकल प्रजाति एवं बाहर से लाई गई प्रजातियों का रोपण तथा मिश्रित वनों के स्थान पर आर्थिक रूप से उपयोगी एकल प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाना।
- विकास की बड़ी परियोजनाओं से प्रभावित हुए जैवविविधता से संपन्न क्षेत्र।
- लघुवनोपज, विशेषकर ऐसी औषधीय प्रजातियां जिनकी बाजार मांग बढ़ी उनके अंधाधुन्ध दोहन के कारण ऐसी अनेकों प्रजातियां अब विलुप्त प्रायः होने लगी।
- उदारहण के लिए श्योपुर कराहल क्षेत्र से सतावरी, महाकौशल सतपुड़ के अनेकों क्षेत्रों से सफेद मूसली अब प्रायः खत्म हो चली है।

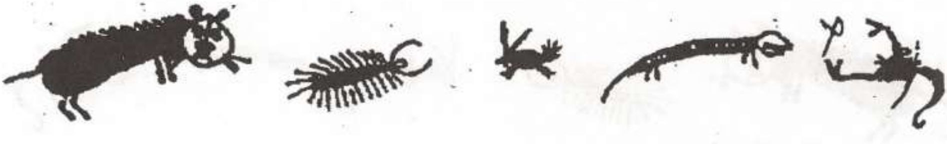

- इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में वन्य प्राणियों विशेषकर शेर के विभिन्न अंगो के औषधीय उपयोग के लिए बढ़ती मांग के कारण अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने हैं।
- जैवविविधता से प्राप्त लाभों के समुचित बंटवारे की व्यवस्था न होना। जैवविविधता को बचाने की कीमत जहां एक ओर स्थानीय समुदायों को चुकानी पड़ती है, जबकि इसके लाभ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक को मिलते है। उदाहरण के लिए जैवविविधता संरक्षण के लिए स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों के प्रत्यक्ष लाभ तो पर्यटन को मिलते है, पर जंगली जानवरों के कारण फसल और मवेशियों का नुकसान स्थानीय समुदायों का उठाना पड़ता है।
- खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु सत्तर और अस्सी के दशक में व्यापक रूप से विपुल उत्पादन के तरीके अपनाये गये। इन तरीकों मे संकर बीजों, रसायनिक खाद और कीटनाशक सिंचाई एवं मशीनीकरण को लगभग सभी भौगौलिक क्षेत्रों में बढ़ावा दिया गया। मिश्रित कृषि के स्थान पर एकल फसल आधारित विपुल उत्पादन की मान्यता बनी। इस प्रयासों से सत्तर और अस्सी के दशक में देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में तो मदद मिली, पर इस मॉडल से पर्यावरण और जैवविविधता को हुए नुकसान अब सामने आ रहे है।
- उत्पादकता की अंधाधुन्ध दौड़ में पशुपालन के क्षेत्र में भी आयातित नस्लों की प्राथमिकता रही। जर्सी और होल्सटन फ्रीजन से पैदा संकर नस्लों ने कमांड क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंचाया लेकिन वर्षा आधारित पठारी आदिवासी अंचलों में यह प्रयोग अधिकांशतः सफल नहीं रहे।
- जैवविविधता संपन्न क्षेत्रों में अधिकतर वर्षा आधारित कृषि होती है। आज भी ऐसी कई पठारी क्षेत्रों में किसान जैविक और मिश्रित खेती को परम्परागत ढंग से कर रहे हैं। कई मोटे अनाज जैसे कोदों, समां मंडवा की खेती भी इन क्षेत्रों में होती है। उन पारम्परागत फसलों विशेषकर मोटे अनाज में अधिक उत्पादन अभी तक संभव नहीं हो पाया है।
- अन्तर्विभागीय नीतियों एवं कार्यक्रमों में जैवविविधता के मुद्दों का पर्याप्त समावेश नहीं हो पाया है।

शरीर में घुलता जहर !

पंजाब को आधुनिक खेती में बहुत उन्नत प्रदेश माना जाता है। कीटनाशकों का उपयोग करने में पंजाब में प्रति हेक्टेयर कीटनाशक उपयोग सबसे ज्यादा होता है।

भटिंडा और रोपड़ जिलों के चार गांवों में 20 किसानों के खून की जांच में 6 से 15 प्रकार के कीटनाशक पाये गये। खतरनाक बात यह है कि एक औसत अमरीकी किसान के शरीर में पाये गये कीटनाशकों की मात्रा के मुकाबलें में यह 15 से 605 गुना ज्यादा पाई गई। खून में मोनोक्लोरोफॉस, फॉस्फामिडान, क्लोरोपाईरोफॉस और मेलाथियॉन जैसे अत्यंत जहरीले कीटनाशक मौजूद हैं। ये कीटनाशक शरीर में पहुंचकर सबसे पहले प्रतिरोधक क्षमता कम करते है। कीटनाशकों का छिड़काव करने वाली महिलाओं में घरेलू महिलाओं की तुलना में असामयिक गर्भपात, गर्भ में शिशुओं की मृत्यु, जन्म के समय बच्चे की मृत्यु के प्रकरण कई गुना पाये गये है। पंजाब सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च, चंडीगढ़ की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार कीटनाशकों के प्रभाव से कैंसर (पी. जी.आई. एम.ई.आर.) की बीमारी का होना बताया गया हैं

फिलीपाइन्स के इंटरनेशनल राईस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने घोषित किया है कि धान के खेतों में कीटनाशकों का इस्तेमाल एक भयंकर भूल थी। दर्जनों उदाहरण पेश करते हुए इस संस्थान ने कहा है कि जिन देशों में धान के खेतों में कीटनाशक का प्रयोग नही किया गया था, या कम किया गया, वहां पैदावार बढ़ने के साथ–साथ कीड़े भी कम पाये गये। इससे किसानों का खर्चा कम हुआ और पर्यावरण भी साफ रहा।

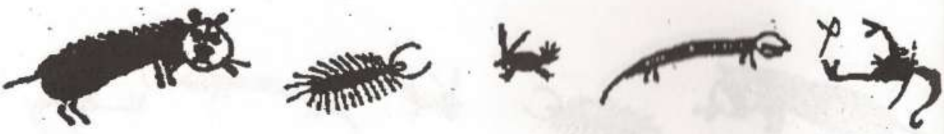

अध्याय–तीन

चुनौतियों के बीच नये रास्ते

इन समस्याओं / चुनौतियों को लेकर नया रास्ता बनाने के क्या **कोई उदाहरण** हमारे सामने हैं ?

कहते हैं ऐसी कोई समस्या नहीं होती है जिसका कोई हल न हो। इन **समस्याओं** और चुनौतियों के बीच ही रोशनी की किरणों की तरह कुछ कोशिशें रास्ता दिखा रही हैं। आईये इन कोशिशों का जायजा लिया जाये।

जैस संसाधन के संरक्षण से बढ़ी आमदनी:

सिवनी जिले के छपारा विकासखण्ड में 37 घरों का एक छोटे से ग्राम सोठावाड़ी। सिंचाई के साधनों की कमी तथा हल्की जमीन के कारण जमीन सभी को रोजी रोटी (अजीविका) उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। वन उपज उनकी रोजी रोटी का प्रमुख साधन है। सोठावाड़ी और आसपास के बांवों में अचार (जिसके बीज से चिरोंजी निकाली जाती है।) बहुत बड़ी मात्रा में इकटठा करके बाजार में बेचा जाता है। कर्ज में फंसे आदिवासी अधिक पैसा पाने के चक्कर में अचार को पकने से पहले ही तोड़ लेते थे, डालियां और कभी–कभी तो पेड़ ही काट डालते हैं। कम गुणवत्ता का आचार तोड़ने से उन्हें एक ओर कम दाम मिलते तो वहीं दूसरी ओर डालियां और पेड़ काटने के कारण अचार की मात्रा भी कम होती गई।

1988 में गठित सोठावाड़ी वन समिति ने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए वन संरक्षण और ग्राम विकास के कामों को हाथ मे लिया। वर्ष 2002–03 में सोठावाड़ी एवं 10–11 गांव की वन समितियों ने मिलकर अचार संग्रहण हेतु पुख्ता व्यवस्था बनाने का फैसला किया :–

1. अचार पकने पर ही तोड़ेंगें, बैशाख माह में अक्ति (अक्षय तृतीया) का त्यौहार आता है उस समय अचार पककर टपकने लगता है। समितियों ने तय किया कि अक्ति के पहले अचार नही तोड़ेंगें।

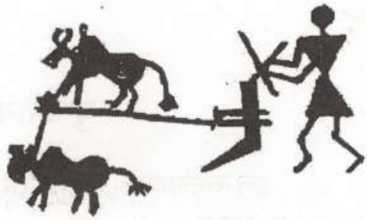

2. नुकसान से बचने के लिए डालियां और पेड़ नहीं काटेंगे।
3. इकट्ठा किये गये अचार की सफाई पानी में अथवा बैलों से गहराई करके ही की जायेगी।
4. मजबूरी में, कम दाम लेकर अचार को साहूकारों को नहीं बेचेंगे ऐसी स्थिति में वन समितियां अचार खरीद लेंगी और जब अच्छे दाम मिलेंगें तब बाजार में बेचेंगे।

समितियों के इन फैसलों से दो फायदे हुए–पहला यह कि पका अचार इकट्ठा करने से अचार की कीमत अच्छी मिलने लगी। दूसरा फायदा यह कि पैसों की जरूरत समिति से पूरी हो जाने के कारण उन्हें तुरंत कम दामों पर अचार बेचने की मजबूरी खत्म/कम हो गई। वर्ष 2005 में सोठावाड़ी वन समिति द्वारा अचार गुठली से चिरोंजी निकालने की मशीन स्थापित की गई है।

यहां हम देखते हैं कि सोठावाड़ी में प्राकृतिक संसाधनों का सामूहिक और सही तरीके से दोहन करके वहां के आदिवासियों ने अपनी आजीविका को मजबूत किया और अचार के पेड़ नष्ट होने से बचाकर जैविक सम्पदा के संरक्षण का एक उदाहरण पेश किया। इस प्रयासों में वन विभाग द्वारा एक सहयोगी की भूमिका निभाई गई।

ऐसे ही कुछ प्रयास राज्य के अन्य अंचलो में भी शुरू हुए हैं। जरूरत है इन प्रयासों को फैलाने की ओर लम्बे समय तक देखने तथा समझने की ताकि इनसे सीखा जा सके।

परम्परागत बीजों का संरक्षण

झाबुआ जिले की सम्पर्क संस्था आदिवासियों के परम्परागत अनाज के बीजों को बचाने की कोशिश में लगी है। सतना जिले के पिथौराबाद में सर्जना सामाजिक

सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच के कार्यकर्ता परम्परागत धान के बीज इकट्ठा करके उनकी खेती कर रहे है। अनेकों किसान जैविक खेती अपना रहे हैं। ये सभी पहल आज जरूर छोटी लग रही है परन्तु यह भी सच है कि पगडण्डी ही शिखर तक पहुंचती है।

कानी आदिवासी समुदाय को मिला, आर्थिक लाभ उनके देशज ज्ञान से

वर्ष 1987 में डॉ. पुष्पागंदन और उनका वैज्ञानिक दल पश्चिमी घाट क्षेत्र में जैवविविधता से जुड़े देशज ज्ञान की खोज में कठिन यात्रायें कर रहा था। साथ में कानी आदिवासी समुदाय के व्यक्ति भी थे। डॉ. पुष्पागंदन और उनके साथी डॉ. राजशेखर जब काफी थकावट महसूस कर रहे थे, तो उसी समय कानी समुदाय के लोगों ने उन्हें कुछ बीज खाने को दिए। बीजों का सेवन करते ही उनमें नई शक्ति का संचार हुआ। डॉ. पुष्पागंदन ने यह भी देखा कि कानी युवक कठिन यात्रा के दौरान बीच–बीच में कुछ खाकर फिर दुगने उत्साह और ऊर्जा से चलने लगते थे। वैज्ञानिकों ने कानी युवकों को आश्वास्त किया कि अगर वे जानकारी देंगे। तो उसका वे कोई दुरूपयोग नहीं करेगें और वैज्ञानिक प्रमाणीकरण के बाद उससे बने उत्पाद का लाभांश भी कानी समुदाय को मिलेगा। तब कानी युवकों ने "आरोग्यपचा" (Trichopus Zelanicum) नाम का पौधा वैज्ञानिकों को दिखाया। इस पौधे पर अध्ययन शोध और प्रमाणीकरण के बाद केरल राज्य की संस्था अी.बी.जी.आर.आई. ने "जीवनी" नाम की औषधि (ड्रग) तेयार की जो व्यवसायिक उत्पादन के लिए 1995 में जारी की गई। कानी समुदाय के परम्परागत ज्ञान के उपयोग से तैयार की गई औषधि के मुनाफे में 50 प्रतिशत का अंश कानी समुदाय को मिले ऐसा अनुबन्ध कराया गया। साथ ही 5 लाख रूपये उन्हें लाइसेंस फीस के रूप में भी दिये गये।

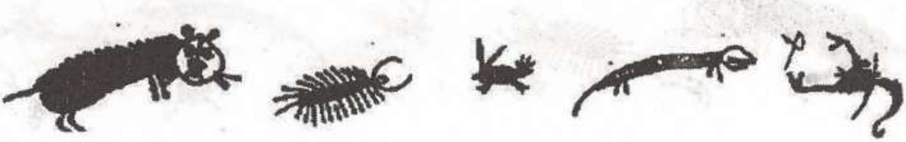

14

जैविक खेती में अगुआ मलगांव की कहानी:

पूर्वी निमाड़ के खण्डवा जिले का एक गांव है, मलगांव वर्षा ऋतु की आंख मिचौली साल दर साल चलती ही रहती है।

वैसे औसत वर्षा लगभग 850 मि.मी. है। वर्ष 2000 में केवल 428 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई। खरीफ फसल तो लगभग खत्म हो गई। पीने के पानी और चारे की भारी असुविधा हुई। फलस्वरूप अगले साल यानी 2001 की बोनी के लिए किसानों के पास बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के लिए पैसे तक नहीं थे। इन सब परिस्थितियों ने गांव के किसानों को अपनी खेती–बाड़ी के तौर–तरीकों पर नये सिरे से सोचने को मजबूर कर दिया।

कृषि विभाग ने सहयोगी की भूमिका निभाई। ग्राम सभा में खुली चर्चा और कारणों की विवेचना हुई। ऐसे कार्यक्रमों पर सहमति बनी, जो मिट्टी और पानी का संरक्षण करें, मिट्टी में जैविक तरीके से पोषक तत्वों को पहुचाएं एवं पानी की खपत को कम करें तथा रासायनिक कीटनाशकों की जगह जैविक कीटनाशकों का प्रयोग हो, जो केवल शत्रु कीटों को नष्ट करें और मित्र कीटों को बढ़ावा दे। कृषि विभाग और जिला पंचायत की मिली–जुली मुहिम और किसानों के सामूहिक प्रयासों से गाँवों में सैकड़ों की संख्या में जैविक खाद हेतु नाडेप/भू–नाडेप, वर्मी कम्पोस्ट ओर बायोगैस संयंत्रों की स्थापना एक ही वर्ष में पूरी हुई। लगभग 22 लाख रूपये की जैविक खाद किसानों को उन्हीं के स्त्रोतों से उपलब्ध हुई । पानी का संरक्षण और जैविक उत्पादों की पैदावार अगले वर्ष से शुरू हुई। ग्राम सभा ने उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए किसानों को पंजीबद्ध करना शुरू किया। गांव की कृषक पाठशाला जैविक कृषि पर जानकारी के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम बनी।

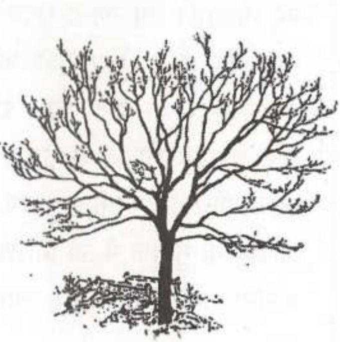

चुनौतियों से जूझते हुए, संरक्षण आधारित सदा हरित कृषि का एक उत्कृष्ट नमूना मलगावं ने प्रस्तुत किया।

फिर क्या सोच हो, क्या रास्ता निकाला जाये जो राज्य की सम्पन्न जैव सम्पदा का संरक्षण भी करें और आजीविका का आधार भी बन सकें?

राज्य की सम्पन्न जैवविविधता और उससे जुड़ी लोगों की जानकारी ग्रामीण अचंलों के विकास में आधार बने। जैव संसाधनों के संरक्षण और संवहनीय उपयोग में आने वाली सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य के विभिन्न अंचलों के उन छोटे–छोटे प्रयासों को देखना होगा, जहां एक ओर जैव संसाधनों का संरक्षण संभव हुआ, वहीं दूसरी ओर उसके सही उपयोग से आजीविका की मजबूती संभव हुई। चुनौती का सामना करने के लिए एक मिले–जुले सामूहिक प्रयास की जरूरत होगी, जहां शासकीय निकाय, स्वैच्छिक संस्थायें, शोध / शैक्षणिक संस्थायें, निजी क्षेत्र, पंचायती निकाय एवं समुदाय मिल–जुलकर काम करें, एक साझा सोच को अमली जामा पहनाने के लिए।

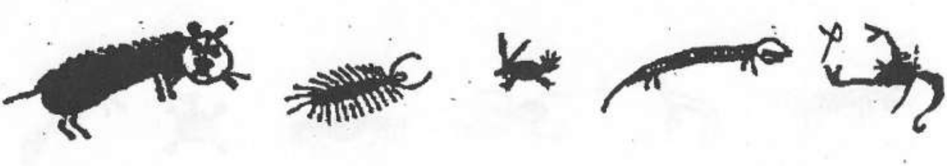

अध्याय–चार
जैवविविधता अधिनियम एवं नियम तथा सहयोगी संस्थाओं की भूमिकायें

जैवविविधता अधिनियम 2002 और मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता नियम 2004 किस तरह हमारी मदद कर सकते हैं ?

इस कानून का मुख्य उद्देश्य जैव संसाधनों का संरक्षण, संवहनीय उपयोग सुनिश्चित करना है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव संसाधनों के अनियंत्रित दोहन को रोकने में यह कानून मदद करेगा। जैव संसाधनों एवं इससे जुड़े लोगों के परम्परागत ज्ञान के उपायोग से प्राप्त लाभों का बंटवारा, उन लोगों को भी मिले जिनकी धरोहर से ऐसा लाभ मिला, यह सुनिश्चित करने के प्रावधान अधिनियम / नियमों में रखे गये हैं।

जैवविविधता अधिनियम / मध्यप्रदेश जैवविविधता नियमों के अन्तर्गत किस प्राकर संस्थाओं / संगठनों का प्रावधान किया गया है ?

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण है, जो विदेशी व्यक्तियों, संस्थाओं या कम्पनियों की जैव संसाधन तक पहुंच या संग्रहण संबंधी आवेदन और अन्य मामले देखेगा। किसी भी शोध के परिणामों की जानकारी विदेशियों को देने संबंधी मामले प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आयेंगें।

राज्य स्तर पर राज्य जैवविविधता बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक सम्पदा के मामले राज्य जैवविविधता बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक सम्पदा के उपयोग की अग्रिम सूचना बोर्ड को देना जरूरी है। जैवविविधता संरक्षण के उद्देश्यों के खिलाफ जाने वाली किसी भी गतिविधि पर बोर्ड रोक लगा सकता है।

जैवविविधता अधिनियम से जुड़ी कुछ परिभाशायें :–

जैविक विविधता : सभी जीवों (वनस्पति, प्राणी तथा बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीव) में व्याप्त भिन्नता तथा उन रहवासों की भिन्नता, जहां ये जीव बसते हैं, किसी एक जीव के भीतर पाई जाने वाली आनुवंशिक भिन्नता भी इसमें शामिल हैं।

जैविक संसाधन : वनस्पति, जानवर एवं सूक्ष्मजीव या उनका कोई भाग या अंग, उनमे प्राप्त जीन (आनुवांशिक इकाई) और इसके उत्पाद (मूल्य वर्द्धित उत्पादों को छोड़कर) जिनका वर्तमान में उपयोग एवं मूल्य हो या उनके उपयोग एवं मूल्य की संभावना है। मनुष्यों के जीन इसमें सम्मिलित नहीं है।

जैविक सर्वे एवं जैव उपयोग : जीव प्रजातियों, किस्मों अथवा नस्लों, जीन, जैविक संसाधन के किसी घटक का सर्वे या संग्रहण। यह सर्वे या संग्रहण भले ही किसी भी उद्देश्य से क्यों न किया गया हो। (इसमें सम्मिलित है, सूचीबद्ध करना और जीवों पर किये गये वायोएम्स अथवा वैज्ञानिक प्रमाणीकरण)।

वाणिज्यिक उपयोग : वाणिज्यिक उपयोग का मतलब जैव संसाधनों का अंतिम रूप में वाणिज्यिक उपयोग से हैं। इसमें सम्मिलित हैं–ड्रग्स, औद्योगिक इन्ज़ाइम्स, खाद्यान्न में खुशबु, सुगन्ध, सौन्दर्य प्रसाधन, इमल्सीफायर, ओलियोरेजिन्स, रंग, एम्सट्रेक्ट और फसल तथा मवेशियों की नस्ल सुधार में जीन का उपयोग। परम्परागत रूप से पशु नस्ल सुधार, परम्परागत तरीकों से फसल, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन एवं पशुपालन में किये गये सुधार इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

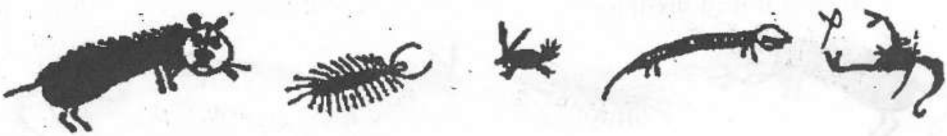

स्थानीय स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों का प्रावधान है। इन समितियों की जिम्मेवारी जैवविविधता संरक्षण, संवहनीय उपयोग (जैविक सम्पदा का इस तरह उपयोग कि उसका लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहे) जैविक सम्पदा और स्थानीय ज्ञान का दस्तावेज तैयार करना है।

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और राज्य जैवविविधता बोर्ड स्थानीय ज्ञान के संबंध में स्थानीय जैवविविधता प्रबंधन समितियों से परामर्श करेंगें।

राज्य जैवविविधता बोर्ड के बारे में खुलासा करें।

- मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की अधिसूचना एवं निगमित निकाय के रूप में जैवविविधता अधिनियम के प्रावधानों के तहत अप्रैल 2005 में की गई है। 10 सदस्यीय बोर्ड में जैवविविधता से सम्बद्ध 5 शासकीय एवं 5 अशासकीय सदस्य हैं। बोर्ड की भूमिका जैवविविधता संरक्षण, जैविक सम्पदा के संवहनीय उपयोग एवं जैविक स्त्रोतों से उपलब्ध लाभों के न्यायपूर्ण और बराबरी की साझीदारी के लिए सभी सहयोगियों के साथ सामंजस्य बनाने में है। बोर्ड की भूमिका निम्नानुसार है : –
- जैविक स्त्रोतों के वाणिज्यिक उपयोग पर नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- जैवविविधता और उससे जुड़ी लोगों की जानकारी के दस्तावेजीकरण (लोक जैवविविधता पंजी) के माध्यम से जैव संसाधनों से सम्बद्ध सूचना तंत्र विकसित करवाना तथा लोगों के परम्परागत ज्ञान की पर्याप्त सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाना।
- जैवविविधता संबंधी शोध एवं अध्ययन करवाना।
- जैवविविधता और उससे जुड़ी लोगों की जानकारी के दस्तावेजीकरण (लोक जैवविविधता पंजी) के माध्यम से जैव संसाधनों से सम्बद्ध सूचना तंत्र विकसित करवाना तथा लोगों के परम्परागत ज्ञान की पर्याप्त सुरक्षा हेतु आव यक कदम उठाना।
- जैवविविधता संबंधी शोध एवं अध्ययन करवाना।
- जैवविविधता प्रबंध समितियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, स्कूलों/कॉलेजों एवं अन्य इकाईयों सहित सभी सहभागियों की जागरूकता व क्षमता वृद्धि में सहयोग करना।
- विभिन्न एजेन्सियों की नीतियों और योजनाओं में जैवविविधता के प्रति सरोकार तथा जैवविविधता पर आधारित आजीविका को प्रोत्साहित करना।
- जैवविविधता संरक्षण के अन्तः स्थलीय (इन–सिटू) एवं बाह्य स्थलीय (एक्स–सिटू) प्रयासों को मजबूत करने एवं जैवविविधता बहुल विरासत स्थलों क ी स्थापना में मदद करना।

- जैव संसाधन आधारित आजीविका के उपक्रमों को बढ़ावा देना।
- जैवविविधता मसलों पर शासन को सलाह देना।

अन्तः स्थलीय और बाह्य स्थलीय संरक्षण क्या है ?

जो जैविक सम्पदा कुदरतन जहां होती है वहीं उसके संरक्षण और सही ढंग से उपयोग करने को इन–सिटू या अन्तः स्थलीय प्रयास कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि जंगलो में प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली सफेद मूसली अथवा सतावरी के संरक्षण और सही ढंग से उपयोग की यदि व्यवस्था कायम करते हैं तो इसे अन्तः स्थलीय संरक्षण कहेंगें। इसी प्रकार उदाहरण के तौर पर धान की कई परम्परागत किस्में जैसे रामकेर, तुलसी अमृत जैसी कई किस्मों को यदि किसान अपने खेतों में उगाते हों तो यह अन्तः स्थलीय संरक्षण के प्रयास की श्रेणी में आयेगा। इसके विपरीत यदि सतावरी और काली मूसली की खेती जंगल के बाहर की जाये तो यह बाह्य स्थलीय संरक्षण की श्रेणी में आयेगा। चिड़ियाघर जहां कई प्रकार के प्राणियों को रखकर उनके खान–पान और परिवार की बढ़ोत्तरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, यह बाह्य स्थलीय संरक्षण कहलायेगा। इसी प्रकार कृषि फसलों की किस्मों को जीन बैंक के माध्यम से जब वैज्ञानिक संरक्षित करते हैं तो वह बाह्य स्थलीय प्राप्त कहलाता है।

नियमों में स्थानीय निकायों की बात कही गई है, स्थानीय निकाय क्या है ? और इनकी क्या भूमिका होगी ?

जैवविविधता संरक्षण की गतिविधियों को संचालित करने के लिए गठित की गई स्थानीय प्रतिनिधि संस्थायें जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभाएं तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम **"जैवविविधता प्रबंधन समितियां"** गठित करेंगी। जैविक सम्पदा की सुरक्षा तथा इस सम्पदा को कम या नष्ट किये बिना इसे भविष्य में भी उपयोग के लिए सुरक्षित रखने तथा जैवविविधता के लाभों का समान और न्यायपूर्ण बंटवारा

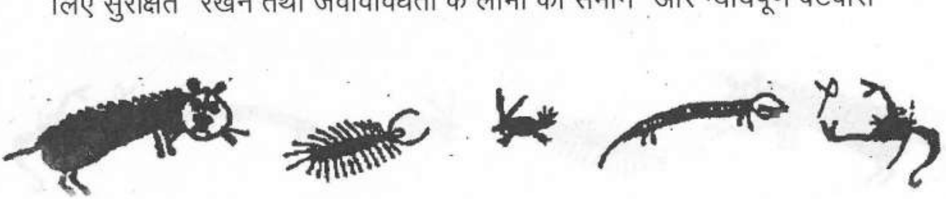

सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी जैवविविधता प्रबन्धन समिति का गठन करेगा। यह समिति जिन सदस्यों से मिलकर बनेगी उनमें जड़ी–बूटी, किसानी तथा जैवविविधता से जुड़े पहलुओं के जानकार होगें। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो जैविक सम्पदा को बचाने के प्रति गंभीर चिन्ता रखते हों तथा इन विषयों को समझते हों इन समितियों में समाज के सभी वर्गो खासकर वंचित वर्गो (महिलायें, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) के सदस्य जरूर होंगें। कुल मिलाकर यह समिति स्थानीय निकायों में जैवविविधता संरक्षण के प्रति जागरूक, गंभीर, सक्रिय सामाजिक कामों में रूचि लेने वाले संवेदनशील सदस्यों का समूह होगी।

यदि इस समिति का गठन गंभीरता से नहीं हुआ, गंभीर और सक्रिय सदस्य इसमें नहीं लिए गए और केवल खानापूर्ति करके ही समिति बनाई जायेगी तो कोई फायदा नहीं होगा और फिर वही ढाक के तीन पात वाली कहावत दोहराई जाएगी। इसलिए पूरी बात अच्छी तरह से समझ लेने के बाद ही समितियां बनेंगी तो उपयोगी होगा।

स्थानीय निकाय चाहें एक समिति गठित कर सकते हैं या अपनी वर्तमान समितियों में से किसी एक समिति या सामान्य सभा को यह दायित्व सौंप सकते हैं। इस समिति के कार्य इस तरह होंगे :–

- जैवविविधता तथा उससे संबंधित ज्ञान का दस्तावेज तैयार करना और उसकी पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस दस्तावेज को लोक जैवविविधता पंजी भी कहते हैं।
- वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए प्राप्त की जाने वाली जैविक सम्पदा पर बोर्ड के दिशा–निर्देशों के अनुरूप भुल्क लगाना।
- संरक्षण सुनिश्चित करते हुए तथा जैविक सम्पदा को कायम रखते हुए दोहन और उससे प्राप्त लाभों का बराबरी से बंटवारा सुनिश्चित करना।
- स्थानीय योजना में जैवविविधता के सरोकारों को शामिल करना।
- संरक्षण को ध्यान में रखते हुए रोजी रोटी की संभावनाएं तलाशना।

इन समितियों का गठन कैसे किया जायेगा ? क्या एक और नई समिति का गठन किया जायेगा ?

- स्थानीय निकाय (ग्रामीण क्षेत्र) में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम अपनी बैठक बुलायेंगे। बैठक की जानकारी सचिव या मुख्य कार्यपालिक अधिकारी देगा।
- सदस्यों को जैवविविधता के महत्व के बारे में जानकारी दें।
- मध्यप्रदेश शासन के 17 दिसम्बर, 2004 के मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित जैवविविधता एवं जैवप्रौद्योगिकी विभाग के नियमों को विस्तार से बतायें।
- खासकर जैवविविधता प्रबंधन समिति के संबंध में विस्तार से चर्चा करें।
- चर्चा के बाद तय करें कि इस विषय में रूचि रखने वाले सदस्या या जानकार सदस्यों को इस समिति में रखें और नियमों के संबंध में बताए गए अनुसार अलग–अलग क्षेत्रों, वन कृषि, पशुधन, स्वास्थ्य, मछली पालन तथा शिक्षा के क्षेत्र से छः सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामांकित करें। इससे ये सदस्य समिति में अपने विषय से संबंधित जानकारी देकर मामले को समझने और कोई फैसला करने या संबंधित कार्यवाही करने में मदद कर सकें। स्थानीय निकाय की बैठक में यह भी तय जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। या सामान्य सभा ही इस जैवविविधता प्रबंधन समिति की भूमिका निभायें। इस आशय का संकल्प पारित कर विचार विम ा के बाद जो भी तय हो वह फैसला कार्यवाही पंजी में दर्ज कर लें।
- सभी परिस्थितियों में विषेश आमंत्रित सदस्यों को जरूर नामांकित करें।

जैवविविधता की जानकारी का "लोगों का दस्तावेज" (People's Biodiversity Register-PBR) क्या है ? कैसे तैयार करना है इसे ?

- जैवविविधता प्रबंधन समितियों का एक मुख्य कार्य जैव संसाधनों की जानकारी का दस्तावेज तैयार करना है।
- समितियां पहले तो अपने कार्यक्षेत्र में पाई जाने वाली जैविक सम्पत्ति के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों के जानकारों तथा आमंत्रित सदस्यों से मोटी–मोटी जानकारी लें।
- इस विषय से संबंधित साहित्य इकट्ठा करें उसे देखें, समझें।
- अपने कार्य क्षेत्र में पाई जाने वाली जैविक सम्पत्ति को एक पंजी में दर्ज करायें। इसे जन जैवविविधता पंजी कहते हैं।

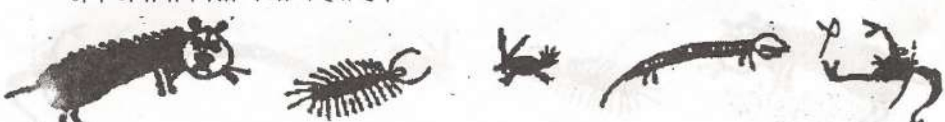

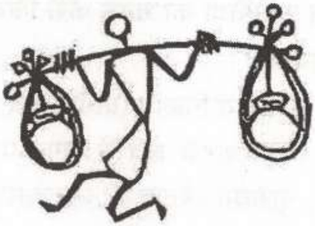

- यह पंजी बनाना एक बड़ा काम है जिसे वे अपने क्षेत्र के पढ़े–लिखे नौजवानों, स्कूल, कॉलेज के छात्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों, नेहरू युवा केन्द्र के सदस्यों, स्वैच्छिक संस्था के सदस्यों, वन समितियों, शिक्षक आदि लोगों से सम्पन्न करायें।
- जिन्हें भी यह पंजी बनाने का काम सौंपे उन सबको मिलकर पहले इस काम को समझ लेना चाहिए।
- मार्गदर्शन के लिए विषय के जानकारों से विशेष मदद लें। जिले में एक जैवविविधता तकनीकी सहयोग समूह होगा उससे मार्गदर्शन लें।
- जैव विविधता बोर्ड अलग–अलग अंचलों में स्वैच्छिक संस्थाओं के सदस्यों को जैवविविधता पंजी तैयार करने के लिए कार्यशालाओं के जरिये जानकार बना रहा है एवं इस प्रक्रिया में संबंधित शासकीय विभागों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं यथासंभव सभी संबंधित पक्षों का सहयोग लिया जा सकता है।
- जैवविविधता पंजी में जहां एक और स्थानीय जानकार, लोगों द्वारा की गई जानकारी होगी वहीं दूसरी ओर इस जानकारी का वैज्ञानिक प्रमाणीकरण भी होगा। वैज्ञानिक प्रमाणीकरण करने के लिए जीव विज्ञान विषय के विद्यार्थियों का विशेष प्रशिक्षण भी बोर्ड द्वारा आयोजित कराए गए हैं।
- इन पंजियों के आधार पर जनपद, जिला, आंचलिक और राज्य स्तरीय जैवविविधता सूचना तंत्र को बनाने में मदद मिलेगी। कम्प्यूटर के माध्यम से जैव संसाधन संबंधी अपने काम की जानकारी स्थानीय स्तर पर मिल सकेगी। यहां यह समझना जरूरी है कि पंजी (दस्तावेज) तैयार करने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय–समय पर जानकारियां जुड़ती रहेगीं।
- यह पंजी (दस्तावेज) बन जाने के बाद एक रिकार्ड समितियों के पास रहेगा जिसका उपयोग निम्न कार्यो में किया जायेगा :–

(क) चिन्हित जैव संसाधनों के संरक्षण और उसके सही तरीके से उपयोग पर आधारित स्थानीय निकायों की योजना बनाने में।

(ख) जैव संसाधन आधारित आजीविका के साधन तलाशने में।

(ग) जैविक सम्पदा के संग्राहकों को संगठित कर सही तरीके से संग्रहण (ताकि समूल नष्ट न हों), उसके प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था विकसित करने में।

(घ) यदि संभव हो तो प्रसंस्करण इकाई लगाने में।

(ङ) जैविक सम्पत्ति के वाणिज्यिक उपयोग पर शुल्क तय करने में।

क्या कुछ होगा जैवविविधता पंजी में ?

- उन समूहों की जानकारी होगी जिनकी आजीविका जैव संसाधनों पर आधारित है, साथ ही उन जैव संसाधनों का विवरण होगा जो इन समूहों की आजीविका को मजबूती देते हैं।
- खेतों, जंगलों, चारागाहों, जलाशयों, बीहड़ों आदि का विवरण होगा और उनमें पाये जाने वाले जीवों (पौधे / जानवर दोनों सम्मिलित) की विविधता का विवरण होगा।
- स्थानीय समूहों द्वारा तय किये गये विशिष्ट जैवविविधता क्षेत्रों एवं विषेश रूप से उपयोगी प्रजातियों / किस्मों / नस्लों का विस्तृत विवरण होगा।
- जैवविविधता के संरक्षण और सही उपयोग से जुड़े प्रबंध के मद्दों की जानकारी होगी, जो कि स्थानीय योजना बनाने में विशेष रूप से सहायक होंगे।
- ऐसी जानकों की विशयवार सूची होगी, जिनकी जानकारी के आधार पर पंजी बनाई गई है।
- स्थानीय जानकारी का वैज्ञानिक प्रमाणीकरण करने वाले जानकारों को भी इस पंजी में सूचीबद्ध किया जायेगा।

(च) जैव विविधता पंजी अपनी जैविक सम्पदा और उससे संबंधित स्थानीय ज्ञान पर

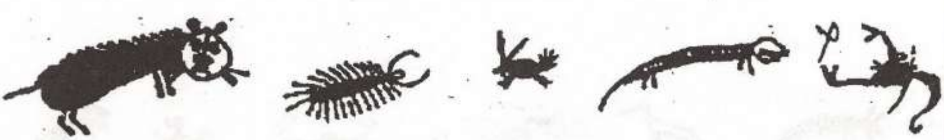

अपना बौद्धिक स्थापित करने में सहायक हो सकती है। जैसा कि कानी आदिवासियों के मामलें में हो सका।

(छ) देशज ज्ञान (Traditional Knowledge) को सम्मान दिलाने एवं पुनर्जीवित करने में।

नगरीय निकायों में जैवविविधता प्रबन्धन का क्या औचित्य है ?

नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती आबादी की जरूरतें, उद्योग तथा बाजार व्यवस्था आदि के कारण हवा, पानी और जमीन को स्वच्छ रखने की एक बड़ी चुनौती को आसान बना सकती है। आधुनिक जीवन प्रणाली में बढ़ते उपभोग की बढ़ती हुई मात्रा और रोज नए विकसित हो रहे साधन जितना बढ़ेंगें उतना अधिक दबाव बनेगा जैविक सम्पदा पर इसलिए उतनी अधिक गंभीर होगी चुनौती हमारी प्राकृतिक और जैव संसाधनों के लिए। अतः नगरीय निकायों की जैवविविधता प्रबंधन समितियों की महती भूमिका बनती है।

दूषित पानी को साफ करने में जीवों की भूमिका

शहरी विकास के कारण पानी के अधिकांश स्त्रोत प्रदूषण का शिकर होते हैं। भोपाल के एकांत पार्क में दूषित नाले की एक धारा को कुछ विशेष प्रकार के पौधों (रीड या सरकंडा जिसे फ्रेग्माईटिस कहते हैं) के क्षेत्र से गुजारते हैं। इन पौधों की जड़ों से छनकर पानी साफ धारा के रूप में दूसरी तरफ निकलता है। इस प्रकार पानी के कई अन्य पौधे भी जल स्त्रोतों की सफाई में सहायक होते हैं।

क्या वन समितियों को जैवविविधता प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है ?

इस प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं पहला औपचारिक नियमों, कानूनों, से बंधा और दूसरा अनौपचारिक और व्यावहारिक।

जहाँ तक औपचारिक नियमों के संदर्भ में देखें तो एक्ट स्थानीय निकायों को जैवविविधता प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपता है। साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि यदि स्थानीय निकाय चाहे तो आम सभा में प्रस्ताव पारित कर मौजूदा किसी भी समिति को

जैवविविधता के काम सौंप सकते हैं। वनांचल के अधिकांश ग्रामों में वन समितियों को स्थानीय निकायों द्वारा यह काम सौंपा जा सकता है। अब इस हम व्यवहारिक धरातल या व्यवहार की जमीन पर देखें तो पायेंगें कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के सदस्यों में वन समितियों के सदस्य स्वाभाविक रूप से होंगें ही। गांव के व्यस्क मतदाता वन समिति में होते हैं और वहीं ग्राम सभा और पंचायतों में भी सदस्य होते हैं। लोग तो वही हैं उनसे ही वन समिति बनती है और वे ही पंचायतों को बनाते हैं। जब लोग वहीं है, एक ही सरकार के नियमों से दोनों बनी है, हर बात में जन सहभागिता, सहयोग, समन्वय और तालमेल की बात कही जाती है तो उनमें वास्तव में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति तो वही है जब वन समिति की बैठक में होगा तो वन समिति का सदस्य होगा और जब पंचायत में बैठेगा तो पंचायत सदस्य होगा। जैसे एक इंसान किसी का पुत्र है तो किसी का भाई और किसी का

पिता, मोहल्ले में वह पड़ोसी है तो दफ्तर में कर्मचारी आदि। कहने का मतलब व्यक्ति वही है भूमिकाएं अलग जगह अलग–अलग है। इसी तरह लोग वहीं हैं वे वन समिति के सदस्य भी हैं, ग्राम सभा के सदस्य भी हैं चुने जाने पर पंचायत के पंच, सरपंच भी वही हैं। इस नजर से देखें तो सबकी सम्मिलित जिम्मेवारी है। व्यवस्था के लिए लोग वन समिति में और पंचायत या ग्राम सभा के सदस्य है। मूलतः जिम्मेवारी समाज/समुदाय के लोगों की है जिनसे वन समितियां या ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की जैवविविधता प्रबंधन समितियां बनती है।

जैवविविधता समिति के काम को आसान बनाने के लिए कहां–कहां से सलाह, मार्गदर्शन या सहयोग मिल सकता है ?

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि जैवविविधता प्रबंधन समिति को हर संभव जगह से मार्गदर्शन और सहयोग लेना चाहिए जैसे स्थानीय जानकारों से, किसानों से, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों से, वन, कृषि, पशुपालन आदि संबंधित विभागों से स्वैच्छिक संस्थाओं से, जिले स्तर पर जैवविविधता तकनीकी सहयोग समूह से राज्य स्तर पर जैवविविधता बोर्ड से हर संबंधित क्षेत्र से मदद मिल सकती है। दरअसल इतने

व्यापक विषय को सीमाओं में बांधना उचित नहीं होगा। कहते हैं न सबै भूमि गोपाल की या अपना काम सबका काम, सबका काम अपना काम। असली बात है जिम्मेदारी महसूस करना और करने की मंशा होना।

जिला स्तरीय एवं आंचलिक/संभागीय जैवविविधता समर्थन समूह क्या है और क्या है भूमिका ?

स्थानीय निकायों के काम को आसान करने के लिए नियमों में जिला समर्थन समूह के गठन का प्रावधान किया गया है। इस समूह में जैवविविधता के क्षेत्र के सरोकार रखने वाले शासकीय विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों, पंचायती निकायों एवं स्थानीय समुदाय के जानकार व्यक्तियों आदि के प्रतिनिधि हो सकते हैं। इसी प्रकार, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राज्य जैवविविधता बोर्ड के निर्देश अनुसार आंचलिक / संभागीय समर्थन समूहों के गठन का प्रावधान किया गया है। जैवविविधता समर्थन समूहों की कुछ भूमिका इस प्रकार से है :–

- स्थानीय निकायों की जैवविविधता प्रबंध समितियों को जैवविविधता के दस्तावेज तैयार कराने में सहयोग करना।
- ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को चिन्हित करना और जैवविविधता बोर्ड के सहयोग से उनकी क्षमता वृद्धि करना ताकि ऐसे स्वैच्छिक संगठन स्थानीय निकायों को आवश्यकतानुसार सहयोग दे सकें।
- अंचल / संभाग में जैवविविधता बाहुल्य क्षेत्रों की पहचानकर, क्षेत्र की जैवविविधता के दस्तावेज तैयार कर, उसके संरक्षण एवं आजीविका को समृद्ध करने की संभावनाओं का पता लगाना।

जैवविविधता प्रबंधन समितियों को बोर्ड किस तरह की सहायता कर सकता है ?

जैवविविधता की सुरक्षा और उसके नियमन में स्थानीय निकायों की समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसमें जैवविविधता बोर्ड इस तरह से मदद कर सकता है :

- समितियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाकर।
- समिति सदस्यों के लिए प्रशिक्षण की संरचना और विषय वस्तु तैयार करके।

- स्थानीय सरल भाषा में ऐसा साहित्य उपलब्ध कराना जो जैवविविधता प्रबंधन समितियों को अपना काम करने में मददगार हो समितियों के काम में आ रही समस्याओं को हल करने के उपाय सुझाकर।
- समितियों द्वारा किये गये अच्छे कामों का प्रचार–प्रसार कर अन्य समितियों के सामने पेश करना जिससे सभी समितियों को अच्छे उदाहराणों से सीखने में मदद हो।
- समितियों के द्वारा गांव के विकास की ऐसी योजना बनाने में मदद करना जिसमें जैवविविधता का संरक्षण मुख्य बिन्दु हो।
- समितियों के काम के लिए आवश्यक साधन मुहैया करा कर।

स्वैच्छिक संस्थाओं की जैवविविधता संरक्षण में क्या भूमिका हो सकती है ?

स्वैच्छिक संस्थाओं एवं समाज में सक्रिय सदस्यों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जैवविविधता के संरक्षण, जन जैवविविधता दस्तावेजीकरण तथा स्थानीय निकायों की क्षमता वद्धि में, आजीविका की संभावनाएं तलाशने सहित सभी क्षेत्रों में हो सकती है।

स्वैच्छिक संस्थाएं स्वयं अपने कार्यक्षेत्र में जैवविविधता के संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य कर सकती है। इसके अलावा जैविक सम्पदा के आधार पर आजीविका को मजबूत करने के लिए नये–नये स्त्रोत खोज सकती हैं। जैविक संसाधनों का मूल्य संवर्द्धन कर स्थानीय समुदाय को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। या उनकी जैविक सम्पदा का उन्हें उचित मूल्य दिला सकते हैं। स्थानीय निकायों के लिए जन जैवविविधता दस्तावेज बनाने में मदद कर सकते हैं।

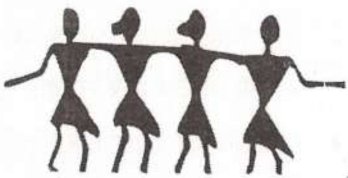

उनकी इस पंजी (दस्तावेज) के आधार पर स्थानीय विकास की योजनाएं एवं आजीविका को मजबूत बनाने की योजनाएं बनाने में मदद कर सकते हैं। दरअसल यहां भी वहीं बात 'हरि अनंत, हरि कथा अनंता' कही जा सकती है। संभावनाएं अनंत है, कितनी संभावनाओं को कार्यरूप में परिणित किया जा सकता है यह निर्भर होगा कि जितनी लगन से, मेहन से प्रयास किये जायेंगे उतनी संभावनाएं नजर आ सकती है।

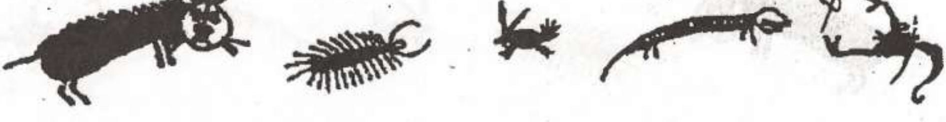

वाणिज्यिक उपयोग के लिए यदि जैविक सम्पदा की जरूरत है तो उसके लिए क्या तरीका होगा ?

अधिनियम की धारा 24 में जैविक सम्पदा को प्राप्त करने तथा उनके संग्रहण करने की प्रक्रिया दी गई है।

- जो भी व्यक्ति वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव संसाधनों का उपयोग करना चाहता है तो उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप में बोर्ड को देगा। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उसे एक हजार रूपया चेक या डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा शुल्क जमा करना होगा।
- बोर्ड आवेदन की जांच पड़ताल करने और स्थानीय निकायों से सलाह करके तथा जरूरत के अनुसार जानकारी इकट्ठी करने के बाद तीन माह के भीतर फैसला करेगा।
- आवेदन को जांच परख कर यदि उसका जैवविविधता पर गलत असर होने की संभावना दिखती है या स्थानीय समुदाय को न्यायपूर्ण ढंग से उनका हिस्सा मिलने में कोई अड़चन या कठिनाई है तो ऐसे उपयोग को रोक सकता है अथवा
- जैविक सम्पत्ति को प्राप्त करने वाले या इकट्ठा करने वालों पर बोर्ड ऐसी भार्ते लगा सकता है जिससे जैविक सम्पदा का संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- यदि निषेध संबंधी आदेश को पारित किया जाना है तो बोर्ड संबंधित पक्ष को कारण बताओं नोटिस और सुनवाई के उपरांत ही ऐसा निशेध आदेश पारित करेगा।
- जैवविविधता संरक्षण के लिए जैविक सम्पदा की सूचना को गोपनिय भी रख सकता है जिससे कोई दुरुपयोग न कर सके।

गाँव के वैद्य या हकीम जड़ी बूटियों का उपयोग दवाई बनाने में करते हैं तो क्या उन्हें भी अनुमति लेने की जरूरत है ?

गाँव के वैद्य, हकीम और बैगा जो परम्परागत चिकित्सा पद्धति में जैव संसाधनों का उपयोग करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की पूर्व सूचना या अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इसी प्रकार स्थानीय समुदायों की जरूरतों तथा जैव संसाधनों की खेती करने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की पारिधि से बाहर रखा गया है।

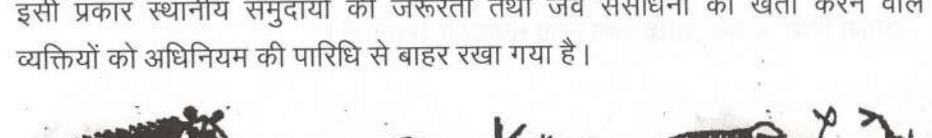

किन परिस्थितियों में वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव संसाधन के संग्रहण/पहुंच को निशेध किया जा सकता है ?

- निकाली जा रही प्रजाति यदि संकटग्रस्त (खत्म होने की कगार पर) हो या निकाले जाने के बाद संकट ग्रस्त होने की संभावना हो।
- कोई दुलर्भ (बहुत मुश्किल से या बहुत कम मिलती हो) प्रजाति या प्रजाति की निकासी से उसके बहुत कम होने की संभावना हो।
- जैविक सम्पदा निकाले जाने से यदि स्थानीय लोगों के जीवन, संस्कृति या रोजगार पर गलत असर पड़ता हो तो उसकी निकासी पर रोक लगाई जा सकती है।
- निकाली जाने वाली सम्पदा से स्थानीय पर्यावरण पर गलत असर पड़ता हो या इसकी संभावना हो तो बोर्ड उस जैविक सम्पदा की निकासी पर रोक लगा सकेगा।

जैवविविधता के संरक्षण में विरासत स्थल (हैरिटेज साईट) की क्या भूमिका है ?

सम्पन्न जैवविविधता वाले ऐसे स्थलों को जहां अनेकों प्रजातियों/किस्मों की प्रचुरता अपने प्राकृतिक स्वरूप में पाई जाती है, जैवविविधता विरासत स्थल घोषित किये जा सकते हैं जिससे जैवविविधता के संरक्षण को मदद मिले। ऐसे क्षेत्र जिनमें कृषि फसलों की जंगली किस्मों की (वाइल्ड रिलेटिव) प्रचुरता हो, उन्हें भी विरासत स्थल के रूप में घोषित कराया जा सकता है। ऐसे स्थल पहले से घोषित संरक्षित क्षेत्रों जैसे नेशनल पार्क एवं अभ्यारण (प्रोटेक्टेड एरिया) के बाहर होगें। राज्य सरकार स्थानीय निकायों से सलाह करके विरासत स्थल घोषित करेगी। इन विरसत स्थलों के संरक्षण और रख–रखाव के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है।

जैवविविधता को संरक्षित करने की दृष्टि से स्थापित किये गये विरासत स्थल, पर्यटन, शिक्षा और जनजागृति के स्थल के रूप में भूमिका निभा सकते हैं।

अपनी बात...

मध्यप्रदेश शासन

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

26 प्रथम तल, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष– 0755–2554549 / 2554539 फैक्स– 0755–2764912
वेबसाईटः– www.mpsbb.nic